खाद बनाने के लिए मलमूत्र का उपयोग

2829. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रति-वर्ष प्राप्त होने वाली पशुओं और मनुष्यों के मलमूत्र तथा ऐसे अन्य अपशिष्ट उत्पादों की कुल मात्रा का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है जिनका खाद के रूप में उपयोग किया जा सके ;

(ख) खाद बनाने के लिए उपयोग किये जा रहें उपरोक्त उत्पादों का प्रतिशत कितना है ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त उत्पादों का इष्टतम उपयोग करने के लिए कोई मास्टर योजना बनाई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर) : (क) देश में पशुओं और मानवों के मल की कुल मात्रा का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है । फिर भी यह अनुमान लगाया गया है कि देश में ग्रामीण खाद 6500 लाख मीटरी टन और शहरी खाद 159 लाख मीटरी टन होने की सम्भावना है ।

(ख) राज्य सरकारों को प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 2,350 लाख मीटरी टन ग्रामीण कम्पोस्ट और 07 लाख मीटरी टन शहरी कम्पोस्ट का उपयोग खाद के रूप में किया जा रहा है ।

(ग) और (घ) कार्बनिक खाद के उपयोग को बढ़ाने के लिए यह सोचा गया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्बनिक खादों के विकास और उपयोग पर एक राष्ट्रीय परियोजना शुरू की जाये ।

केन्द्रीय सूचना संवर्ग में सम्पादकीय कर्मचारियों का शामिल किया जाना

2830. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं के सम्पादकीय कर्मचारियों को केन्द्रीय सूचना संवर्ग में शामिल करने की प्रक्रिया क्या है ; और

(ख) केन्द्रीय सूचना संवर्ग में शामिल होने के लिए कितने मामले लम्बित पड़े हैं, वे कब से लम्बित पड़े हैं और विलम्ब के क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) पदों का किसी श्रेणी विशेष को केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल करने की वांछ-नीयता का मूल्यांकन करने के लिए पदों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों, इसके वेतनमान और इस प्रकार के पदों की संख्या, आदि सहित विभिन्न संगत बातों का विचार किया जाता है । किसी भी पद को केन्द्रीय सूचना सेवा मे शामिल करने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा संघ लोक सेवा आयोग की सहमति पूर्वापेक्षित है । तदनुसार नियमों में उपयुक्त संशोधन करने होते हैं । इस प्रकार के पदों को धारण करने वाले वैयक्तिक अधिकारियों का केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल करना संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उनके उपयुक्त पाये जाने पर निर्भर करता है ।

"भगीरथ" पत्रिका, जो सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय द्वारा नियमित की जाती है, के कर्मचारियों को छोड़कर इस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाने वाली अन्य सभी पत्रिकाओं के सम्पादकीय कर्म-चारी केन्द्रीय सूचना सेवा से सम्बन्धित हैं ।

(ख) अन्य मंत्रालयों/विभागों तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन माध्यम एककों के संवर्गों में शामिल

सम्पादकीय/पत्रकारिता/प्रचार स्वरूप के कर्तव्यों वाले पदों को केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल करने की प्रतीक्षा है । नियमों में संशोधन, वर्तमान संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों की सहमति, स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं जैसी प्रशासनिक औपचारिकताओं पर विचार किया जा रहा है तथा वे अभी तक पूरी नहीं हुई है । पैंडिंग ब्यौरा इस प्रकार है :—

	कुल पद	1–3 वर्ष के बीच	3 वर्ष से अधिक
समूह 'क' स्तर के पद	28	15	13
समूह 'ख' स्तर के पद	176	88	88

Permanent Employees of Hindustan Lever Ltd.

2831. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether Government are aware that according to the figures given by the Hindustan Lever Limited before a court of law that overall strength of permanent employees working in the Delhi Office of the Company was 122 in the year 1967;

(b) whether the permanent employees in the office now are only about 22 excluding those in the liaison department, which is a separate branch of the Company;

(c) whether it is a fact that the remaining permanent staff on rolls is proposed to be transferred to Lipton India Limited; and

(d) whether Government propose to take action in this behalf?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI T. ANJAIAH): (a) and (b). According to information received from the Delhi Administration, the appropriate authority under the Industrial Disputes Act. 1947, as against the total strength of 120 permanent employees working in the Delhi office of the Company on 31.12.67, the present strength of permanent employees is 90.

(c) There is no proposal to transfer any of the permanent workers to Lipton India Limited.

Rehabilitation of Old Delhi Residents

2832. SHRI SHAMIM AHMED SIDDIQI: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) which nearest place has been suggested under the Delhi Master Plan for 2001 for the rehabilitation of the residents of old Delhi in its surroundings; and

(b) how much land has been earmarked by D. D. A. for the development schemes of Minto Road, Mata Sundri Road and Thompson Road?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI H. K. L. BHAGAT): (a) In the modification proposed in the Master Plan for Delhi with the perspective for the year 2001 no such specific site has been suggested.

Such areas may be earmarked after the programme for resettlement/rehabilitation of the old Delhi residents is drawn up and approved. The entire concept of development of Shahjehanabad is under consideration.

(b) Minto Road, Mata Sundri Road and Thompson Road fall in Zone D-2. About 93.68 acres of land is earmarked in this zone for net residential development.

Purchase of Foreign Films

2833. SHRI SANTOSH KUMAR SAHU: Will the Minister of INFOR-